

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा
सुखीदेवी बनाम मोहम्मदरसुल वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-105/2025

तारीख हुक्म	हुक्मकारवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख
15.07.2025	वादीगण के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्णोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 15.09.2025 को पेश हो।	अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/09/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगल कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तया होकर पत्रावली पूर्व आवेदिका अनुसार आईन्दा दिनांक 15 24/09/25 को पेश हो।	
24/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं अनुपस्थित। न्यायालय समय में वादी व वादी वकील को रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन न तो वादी वकील उपस्थित हुआ और न ही वादी स्वयं उपस्थित हुआ। अतः पत्रावली अदम हाजरी/अदम फेरकी में खारिज की जाती है। पत्रावली मिसल शूमार दोउर दाखिल इफ्तार हो।	

